राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(130)ग्रावि / नरेगा / Plantation / 2020–01096 जयपुर, दिनांकः

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– मिशन हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आगामी मानसून में किये जाने वाले वृक्षारोपण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु समयबद्व कार्य योजना के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय समसख्ंयक पत्र दिनांक 09.04.2025 एवं 28.04.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा ''मिशन हरियालो राजस्थान'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को आगामी मानसून में वृक्षारोपण के लिये 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था।

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 25.04.2025 में भी इस संबंध में सभी जिलों द्वारा समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार कार्य करने तथा पौधारोपण कार्यों की 15 मई 2025 तक लक्ष्यानुसार पर्याप्त स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में जिलों द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की सूचना को दिनांक 15 मई 2025 तक गूगल शीट पर आवश्यक रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करावें।

अभियान की पूर्ण सफलता एवं पौधों की जीवितता के लिए मास्टर सर्कुलर 2024–25 के बिन्दु संख्या 7.6.5 के अनुसार पौधारोपण कार्यों के 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव का प्रावधान तकमीने में आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए पूर्व में जारी विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 10.07.2024 के अनुसरण में निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जावेः–

1. रेखीय पौधारोपण (Linear Plantation) हेतु न्यूनतम 200 या अधिक पौधों पर Watch and Ward हेतु एक अकुशल श्रमिक का प्रावधान लिया जा सकता है।
2. ब्लॉक / मियावाकी पौधारोपण (Block Plantation) हेतु न्यूनतम 200 या अधिक पौधों पर Watch and Ward हेतु एक अकुशल श्रमिक का प्रावधान लिया जा सकता है।
3. Scattered पौधारोपण न्यूनतम 150 या अधिक पौधों पर Watch and Ward हेतु एक अकुशल श्रमिक का प्रावधान लिया जा सकता है।
4. चरागाह विकास एवं पौधारोपण कार्यों हेतु 1–5 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 200 या अधिक पौधों पर Watch and Ward हेतु एक अकुशल श्रमिक का प्रावधान लिया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Commissioner
Date: 2025.05.09 17:12:27 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15215942

5. चरागाह विकास एवं पौधारोपण कार्यों हेतु 5 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल हेतु न्यूनतम 1000 या अधिक पौधों पर Watch and Ward हेतु दो अकुशल श्रमिक का प्रावधान लिया जा सकता है।
6. Watch and Ward हेतु लगाये जाने वाले अकुशल श्रमिक को जीवित पौधों के अनुपात में भुगतान किया जावे तथा 40 प्रतिशत से कम जीवित पौधों पर कोई भुगतान नहीं किया जावे।
7. Watch and Ward हेतु नियोजित अकुशल श्रमिक द्वारा पौधों की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु आवश्यक समस्त गतिविधियां जैसे खाद, दवा, पानी पिलाना, थावला ठीक करना इत्यादि कार्य भी समय–समय पर आवश्यकतानुसार किये जावे।

इसी कम में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पौधशाला स्थापित करने के प्रदत्त निर्देशों के कम में शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 5000 पौधों की क्षमता की एक पंचायत पौधशाला स्थापित किया जाना आवश्यक है।

(पुष्पा सत्यानी)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय पंचायती राज मंत्री, राजस्थान।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
8. निजी सहायक, आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान।
9. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, राजस्थान।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद, समस्त।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, ईजीएस को भेजकर लेख है कि नरेगा वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

आयुक्त,ईजीएस

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Commissioner
Date: 2025.05.09 17:12:27 IST
Reason: Approved